NATIONAL CHAMBER OF INDUSTRIES & COMMERCE,U.P.

ATUL KUMAR GUPTA	MANOJ KUMAR GUPTA	AMBA PRASAD GARG	NITESH AGARWAL
PRESIDENT	VICE PRESIDENT	VICE PRESIDENT	TREASURER
9760011107	9837053316	9319109234	9837153455

एनसीआईसी / 01 / 2024–25 / 30 अगस्त, 2024

सेवा में,

श्रीमती हेमलता दिवाकर कुशवाह जी,
माननीय महापौर,
आगरा।

माननीय महोदया,

चैम्बर के अनुरोध को स्वीकार करते हुए आपने अपने व्यस्त समय में चैम्बर के सदस्यों के लिए समय प्रदान किया। इस हेतु हम आपके प्रति आभार प्रकट करते हैं तथा चैम्बर में पधारने पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन करते हैं।

नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एण्ड कॉमर्स, यूपी, आगरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उद्योग एवं व्यापार की एक संघीय एवं शीर्ष संस्था है एवं वर्ष 1949 में स्थापित, 75 वर्ष से निरन्तर कार्यरत है। इसमें 1600 से अधिक औद्योगिक एवं व्यापारिक प्रतिष्ठान जो आगरा जनपद एवं आस पास के जनपदों में स्थित हैं, सदस्य के रूप में जुड़े हुए हैं। 25 विभिन्न प्रमुख व्यापारिक एवं औद्योगिक संगठन भी चैम्बर के संबद्ध सदस्य हैं। इसके अनुभवी सदस्यों को केंद्र व राज्य स्तरीय विभिन्न सलाहकार समितियों में नामित किया जाता है तथा सुझावों पर नीति निर्धारण के समय संज्ञान लिया जाता है।

आगरा शहर के विकास के संबंध में हम आपका ध्यान निम्नलिखित प्रमुख विषयों की ओर आकर्षित करना चाहते हैं :–

1. व्यावसायिक संपत्तियों पर कर निर्धारण हेतु नियमावली में काफी विसंगतियां है। इस सम्बन्ध में हमारे द्वारा बार–बार नियमानुकूल ध्यान आकर्षित करने के पश्चात भी इन विसंगतियों को अभी तक दूर नहीं किया गया है। व्यावसायिक संपत्तियों पर कर निर्धारण हेतु नियमावली में विसंगतियों एवं सुझावों के सम्बन्ध में एक विस्तृत पत्रावली इस प्रतिवेदन के साथ संलग्न कर प्रेषित है। आपसे निवेदन है कि व्यावसायिक सम्पत्तियों पर कर नियमावली की विसंगतियों को प्रशासन स्तर पर दूर कराकर उद्यमियों व व्यापारियों को राहत प्रदान कर अनुग्रहित करें।

2. नगर निगम, आगरा द्वारा वृहद औद्योगिक आस्थान, नुनिहाई की इकाईयों से शासनादेश दिनांक 08 दिसम्बर, 2021 अंतर्गत जारी ओ०टी०एस० एक मुश्त समाधान योजना के तहत गृहकर वसूली वित्तीय वर्ष 2021–22 तक प्राप्त की जा चुकी है, व इसी क्रम में वांछित औद्योगिक क्षेत्र की समस्त इकाईयों के द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 तक का गृहकर भो पूर्ण रूप से जमा किया जा चुका है, परन्तु इसके उपरांत भी नगर निगम, आगरा द्वारा माह दिसम्बर, 2023 में पुनः कर–निर्धारण कर अप्रासंगिक नोटिस जारी कर दिए हैं। जिसमें कि वृहद औद्योगिक आस्थान, नुनिहाई की समस्त इकाईयों पर वित्तीय वर्ष 2021–22 से नया गृहकर मय ब्याज अधिरोपण कर दिया गया है, जो कि उक्त एक मुश्त समाधान योजना अंतर्गत जारी शासनादेश के अनुपालन का घोर उल्लंघन है व अवैधानिक प्रक्रिया है और इसमें हम उद्यमीगण का भारी मानसिक उत्पीड़न है।

   अग्रसर यह भी संज्ञान में लाना है कि प्राधिकरण जिला उद्योग केंद्र द्वारा वांछित औद्योगिक आस्थान, नुनिहाई नगर निगम, आगरा को हस्तांतरित नहीं है। जिससे संबंधित प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष विचाराधीन है, जैसा कि संलग्न शिकायती पत्र में विवरण दर्ज है। अतः नगर निगम, आगरा को वांछित औद्योगिक क्षेत्र, नुनिहाई की इकाईयों पर गृहकर अधिरोपण व वसूली का अधिकार प्राप्त न होने के कारण गृहकर अधिरोपण व वसूली कार्रवाई किए जाना पूर्ण रूप से अवैधानिक है।

   तदनुसार न्यायहित में नगर निगम, आगरा द्वारा इसे वित्तीय वर्ष 2021–22 से अवैधानिक गृहकर अधिरोपण कर–निर्धारण नोटिस को निरस्त करते हुए हम उद्यमीगण की गृहकर अधिरोपण संबंधित जायज मांग को वर्तमान काल में वित्तीय वर्ष 2024–25 से लागू किया जाये। इस हेतु उचित दिशा–निर्देश जारी करने की महान कृपा करें।

New Market, Jeoni Mandi, Agra – 282004 Ph.(0562) 4063770, 9368774368
Email: office@ncicagra.in Website: http://www.ncicagra.in

3. फाउण्ड्री नगर में पानी की टंकी का निर्माण किया जाये। इस हेतु स्थान डी–49, 50 के सामने यूपीसीडा पार्क, जो खाली पड़ा हुआ है, का चयन किया जाये। हमारे संज्ञान में आया है कि जलकल संस्थान का निर्माण कार्य चल रहा है। अतः हम चाहते हैं कि फाउण्ड्री नगर में पानी की टंकी का निर्माण कार्य अविलम्ब प्रारम्भ किया जाये। जिससे निर्माणाधीन जल संस्थान से इस पानी की टंकी को शीघ्र जोड़ा जा सके। फाउण्ड्री नगर में 300 इकाइयां स्थित हैं, यहां पानी उपलब्ध नहीं होने के कारण बाहर से मंगाना पड़ता है। पानी की टंकी के निर्माण से भारी संख्या में श्रमिकों एवं इकाई स्वामियों को लाभ मिलेगा।
4. फाउण्ड्री नगर में स्थित पार्क में प्रारम्भ से ही रख–रखाव न होने के कारण वहां जंगली बबूल, झाड़ियां उग आई हैं। जिससे यह पार्क जंगल के रूप में हो गया है। 1 जुलाई, 2024 को जिलाधिकारी, विधायक डॉ. धर्मपाल सिंह, नगरायुक्त, संयुक्त आयुक्त उद्योग एवं डीएफओ द्वारा इस पार्क का संयुक्त निरीक्षण भी किया जा चुका है। आपसे निवेदन है कि इस पार्क से बबूल और झाड़ियों को साफ कराकर इसको समतल कराया जाये। जिससेयहां पर सघन वृक्षारोपण किया जा सके। 200 ट्री गार्ड भी उपलब्ध कराये जायें।
5. नगर निगम द्वारा सम्पत्ति कर के नोटिसों में भिन्नता के कारण उपभोक्ताओं का शोषण हो रहा है। जीपीएस सर्वे के नाम पर लगभग 90 प्रतिशत नोटिस गलत थे जिनको नगर निगम ने भी स्वीकारा और कम्पनी की इस गलती के लिए उसे प्रतिकूल प्रवष्टी भी दी गयी। हमारा निवेदन यह है कि जीपीएस कम्पनी के नोटिसों को जब गलत मान लिया गया और उसे प्रतिकूल प्रवष्टी भी दी गई तो उसके द्वारा बनाये गये क्षेत्रफल के आधार पर असिस्मेंट को मान्यता क्यों दी जा रही है। ऐसी परिस्थितियों में सर्वे करने वाली एजेंसी के द्वारा बनाये गये क्षेत्रफल के आधार पर असिस्मेंट को निरस्त करते हुए पुराने असिस्मेंट को ही मान्यता देनी चाहिए ताकि नियम के विपरीत स्वकर की भावना आहत न हो।
6. संजय प्लेस में कपड़ा मार्केट में सम्पत्ति कर हेतु नोटिस भेजे गये हैं। जिसमें भवन निर्माण की वर्ष 2009 है और उस नोटिस में भी भवन निर्माण वर्ष 2009 अंकित है किन्तु सम्पत्तिकर की मांग 2001 से की जा रही है। जो एक बड़ी विसंगति है। क्योंकि भवन निर्माण से पूर्व के समय से सम्पत्तिकर की मांग कैसे की जा सकती है।
7. संजय प्लेस आवासीय कॉम्प्लैक्स में जहां बहुमंजलीय फ्लैट्स बने हैं, में क्षेत्रफल बढ़ नहीं सकता। किन्तु जिन सम्पत्तियों का सम्पत्तिकर मार्च 2024 तक जमा कर दिया गया है। फिर भी उनसे 2021 से शेष कर की मांग की जा रही है। इनमें रेंटल वेल्यू बढ़ा दी गई है। महोदया यह स्पष्ट किया जाये कि क्या कर की दर में वृद्धि हो गई है।
8. करदाता सम्पत्तिकर का भुगतान ऑनलाइन प्रतिवर्ष जमा करते रहे हैं और जिसकी नगर निगम द्वारा प्राप्ति की स्वीकृति भी है। अब पुनः 2021 से बकाया निकाल दिया गया है। यह किस आधार पर है समझ से परे है?
9. निवेदन यह है कि प्रोपर्टी बिक्री के बाद क्रेता अपना नाम नगर–निगम में परिवर्तन नहीं कराता है और लापरवाही बरतता है। जिसकी वजह से हाऊस टैक्स एवं जल कल विभाग की देनदारी बकाया बन जाती है और विक्रेता को नोटिस भेज दिया जाता है। आपसे गुजारिस है कि नगर निगम की बेवसाइड पर बिक्री करने वाले को नगर निगम को सूचित करने का प्रावधान अंकित किया जाये। ताकि कर वसूली के लिए नगर निगम नये क्रेता को सम्पर्क करे। और अपनी वसूली पाप्त करे। जिसमें विक्रेता बिक्री के पंजीकृत बिक्री पत्र की कॉपी आपकी बेवसाइट पर सबूत के तौर पर संलग्न कर सके।
10. नगला रामबल (शाहदरा) के टीले (कूड़ा डम्प) पर 2010 से नगर निगम द्वारा कूड़े का निस्तारण तो बन्द कर दिया है किन्तु यह स्थल पहाड़ के रुप में अत्यधिक ऊँचा हो गया है। नगर निगम द्वारा इस टीले पर जाने के लिये रैम्प बनवाया था और वृक्षारोपण भी कराया था। किन्तु यह रैम्प अब क्षतिग्रस्त हो गया है हमारा निवेदन है कि इस क्षतिग्रस्त रैम्प का सुदृढ़ीकरण करा दिया जाये ताकि चैम्बर यहां वृक्षारोपण कराकर इस टीले को हरियाली से आच्छादित करते हुए इसका सौन्दर्यीकरण करा सके। हरियाली

आच्छादित होने से यह स्थान अपने आप में एक लैंड मार्क बनने के साथ–साथ महात्मा गांधी के चर्चित 'नमक सत्याग्रह' आंदोलन की स्मृति स्थली के रूप में विकसित हो सकेगा। इस सम्बन्ध में विस्तृत पत्रावली संलग्न प्रेषित है।

11. शास्त्रीपुरम जलाशय महानगर में आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा बसाई गई शास्त्रीपुरम आवासीय योजना, आवास विकास परिषद की पं0 दीन दयाल उपाध्यायपुरम् (सिकन्दरा योजना) योजना आगरा, और यू.पी.एस. आई.डी.सी. सिकंदरा–शास्त्रीपुरम क्षेत्र में लगातार गिरते भूजल स्तर को थामने तथा क्षेत्र में अधिक पर्यावरण अनुकूलीय स्थितियां बनाये जाने को दृष्टिगत अधिक उपयोगी है। सिकंदरा रजवाह जो कि महानगर के बीच में से होकर जीवनी मंडी जलकल तक बहता था और मस्ता की बगीची के बराबर से जीवनी मंडी क्रास कर यमुना नदी में समाता था। अब इस रजवाह को शास्त्रीपुरम में लैदर इंस्टीट्यूट के पास बने रेलवे ओवर ब्रिज के पास ही टर्मिनेट कर दिया गया। यही नहीं इसका पानी जखीरा एस्केप होकर यमुना नदी में डिसचार्ज किया जाने लगा। पानी की आवक खत्म कर दिये जाने से नहर सूख गयी। फलस्वरूप शास्त्रीपुरम का ड्रेनेज वाटर नगर निगम क डीजल पम्प द्वारा नहर में डाला जा रहा है। जो कि प्रथम दृष्टया पर्यावरण कानूनों और शासन की नहरों के संबंध में नीति के प्रतिकूल कार्य है। बल्कि नीति के प्रतिकूल इस कार्य को रोककर इसे जलाशय का रुप दिया जाये जिससे इस क्षेत्र में भूजल स्तर के लगातार गिरने पर रोक लग।
12. अवैध निर्माण के होने की दशा में सम्बन्धित क्षेत्र के अधिकारी की जिम्मेदारी भी तय की जाये।
13. शहर को पॉलिथीन/प्लास्टिक फ्री करने के लिए नगर निगम द्वारा शहर में प्लास्टिक डिस्मेंटल करने के लिए कम से कम 4 मशीन लगाईं जाएँ। प्रदेश के महापौर संघ द्वारा माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से आग्रह किया जाये। प्लास्टिक पैकेजिंग को प्रतिबन्धित कराकर उसके स्थान पर अन्य प्रकार की पैकिंग जो आसानी से डिस्पोज़ हो सके का सुझाव प्रेषित किया जाये।
14. आगरा में ट्रांसपोर्ट हब बने। भारी वाहनों के लिए बाईपास शीघ्र पूण हो। इनर रिंग रोड का तीसरा चरण एवं उत्तरी बाईपास का निर्माण शीघ्र पूर्ण हो। तभी रिंग रोड पूरा होगा तथा रिंग रोड पूरा होने पर ही वाहन शहर में जाने से बच सकेंगे। ट्रांसपोर्ट नगर में जो नगर निगम द्वारा नालों के निर्माण कराए गए थे उनके लगभग 7, 8 वर्ष पूर्व बनने के बाद अभी तक सफाई नहीं हुई है जिसमें काफी कूड़ा भरा होने पर बरसात में गंदगी होना स्वाभाविक है और नगर निगम द्वारा कोई सफाई व्यवस्था नहीं होती है। उक्त स्थल पर ड्रेनेज और सीवर चौक होने पर बरसात का पानी सड़कों पर भरा रहता है। वाटर टैंक न होने पर स्थानीय दुकानदारों को पानी उपलब्ध नहीं होता है। अथवा यह कहना ठीक होगा की सड़क, पार्किंग आदि सभी क्षतिग्रस्त होने पर आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। नगर निगम द्वारा कोई जन सुविधा वहां उपलब्ध न होने पर दुकानदारों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। इन समस्यायों का नगर निगम द्वारा शीघ्र समाधान किया जाना आवश्यक है। महोदय एक बार आप स्वयं साहिबा उक्त क्षेत्र का दौरा करके उक्त समस्यायों की जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। महोदया, निवेदन है कि स्थल का दौरा कर उपरोक्त समस्याओं के समाधान हेतु शोघ्र सकारात्मक कार्यवाही करने की अनुकम्पा करें।
15. हमारा निवेदन है कि संजय प्लेस में लाइट, सीवर एवं टूटी हुई सड़क से व्यापारियों एवं आने जाने वालों को बहुत कठिनाई होती हैं जिसका निस्तारण जल्दी होना चाहिए। संजय प्लेस के व्यापारियों (वे सभी व्यापारी है और संजय प्लेस एसोसिएशन के पदाधिकारी भी है) पर लगे झूठे मुकदमों, जो पार्किंग के विरोध में नगर निगम द्वारा लगाए गए हैं, को वापस लिया जाये। संजय प्लेस को प्रदेश का एक ऐतिहासिक व्यापारी हब बनाया जाय।
16. एक मुश्त समाधान योजना लाकर संपत्ति कर एवं जलकर संबन्धी सभी लंबित मामलों का निस्तारण करा दिया जाये। इससे निगम को भारी राजस्व की प्राप्ति होगी। संजय प्लेस में कपड़ा मार्किट एवं जूता मार्किट में पूर्व में बंद रही एवं आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा निरस्त की गयी दुकानों के कर का निपटारा शीघ्र कराया जाये।
17. जोन 4 कक्ष संख्या 55 – आर जे एस्टेट, पीला खार शाहदरा, आगरा में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं है। अतः यहां स्ट्रीट लाइट लगाई जायें।

18. महोदया, होटलों पर यूजर चार्ज बहुत अधिक लगाया जा रहा है। पिछले वर्षों में हमारे द्वारा विरोध किया गया था, तब एक कमेटी गठित हुई थी। उसकी रिपोर्ट बहुत उचित थी। लेकिन फिर भी उसको लागू नहीं किया गया। हमारा सुझाव है कि छोटे एवं मध्यम घर का अधिकतम यूजर चार्ज जो लिया जा रहा है उसका तिगुना छोटे एवं मध्यम होटलों से लिया जाये तथा बड़े घर का अधिक यूजर चार्ज जो लिया जा रहा है उसका तिगुना बड़े होटलों से लिया जाये। होटल्स यूजर चार्ज देने को तैयार है।
19. सिकन्दरा औद्योगिक क्षेत्र में सड़कों में गढ़डो की मरम्मत, खराब बिजली के पोलों की मरम्मत और आंशिक रूप से कुछ प्रकाश बिन्दुओं की व्यवस्था शीघ्र आवश्यक है। क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है, कोई अप्रिय घटना घट सकती है।
20. रामबाग के सामने रोड पर कट नहीं है जिससे रामबाग जाने वाले ऑटो/रिक्शा रामबाग से उसी तरफ होकर अर्थात रांग साइड से चौराहे की ओर वापस आते हैं। अतः रामबाग के सामने रोड पर एक कट बनाया जाये।
21. नरायच श्याम नगर में सीमा ऑयल फैक्ट्री क सामने गंदगी का अंबार है। कई बार निगम का ध्यान आकर्षित किया गया है। फौन पर भी वार्ता की गयी है। किन्तु अभी तक न तो वहॉ अभी तक कचड़ा डालना बंद किया गया है और न वहॉ डस्टबिन/कंटेनर रखा गया है।
22. आगरा के प्रमुख चौराहों का सुदृढ़ीकरण एवं सौंदर्यीकरण किया जाए। लाल बत्ती होने पर प्रमुख चौराहों पर बाईं ओर वाहन खड़े न हों ताकि बाईं ओर से जाने वाले वाहनों को पास होने में बाधा न हो। ऐसे प्रमुख चौराहों पर जेब्रा लाइन बनाई जाए और तैनात पुलिसकर्मियों को निर्देशित किया जाए। प्रमुख चौराहों पर बाईं ओर जेब्रा लाइन के बाहर वाहन खड़ा होने पर चालान किया जाए।
23. मेट्रो निर्माण के बाद फतेहाबाद रोड पर फुटपाथ आदि समाप्त हो गये हैं। अतः यहां वाहन पार्किंग की समस्या विकराल रुप ले चुकी है। होटल अमर से सैल्फी पॉइन्ट तक बसों, टैक्सी एवं दुपहिया वाहनों के लिये पार्किंग स्थल की अत्याधिक आवश्यकता है। ट्रैफिक पुलिस द्वारा भारी संख्या में फोटो चालान किये जा रहे हैं। सितम्बर–अक्टूबर से टूरिस्ट सीजन प्रारम्भ होने पर वाहन पार्किंग की समस्या और विकराल रुप ले लेगी।
24. जीवनी मंडी स्थित न्यू मार्केट में काफी समय से सफाई नियमित रुप से नहीं हो रही है, जगह–जगह कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं। जहां मक्खी व मच्छर बहुत ही अधिक उत्पन्न हो गये हैं। कूड़ा कचरा नालियों में भर जाने से नालियां चौक हो गई हैं। जिससे नालियों का पानी रास्ते में भर रहा है। मार्केट मं काफी फ्लैट्स भी है जिनमं काफी लोग रहते हैं। गन्दगी के कारण महामारी फैलने की अत्यधिक आशंका है। अतः कूड़े का निस्तारण प्रतिदिन किया जाये। हमारी सहयोगी संस्था न्यू मार्केट ट्रेडर्स वैलफेयर एसोसिएशन द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन संलग्न कर प्रेषित है। स्ट्रीट लाइट खराब पड़ी है। बरसात का समय है। अतः समस्त स्ट्रीट लाइटों को संचालित कराया जाये।

    जीवनी मंडी, न्यू मार्केट में विजया बैंक के सामने बाउन्ड्री टूटी हुई है। इसके अतिरिक्त और भी निर्माण कार्य जो खराब हो गये हैं या टूट गये हैं, उन सभी का निर्माण कराया जाये। सौन्दर्यीकरण किया जाये। 100 गमल एवं 100 ट्री गार्ड उपलब्ध कराये जायें। शौचालय जर्जर अवस्था में है, उसका निर्माण कराया जाये।
25. पुरानी मंडी से ताजमहल के दक्षिणी गेट की तरफ ताजमहल के तीनों गेटो को जोड़ने वाले मार्ग पर चौक थाना, चौक कागज़ीयान, पश्चिमी गेट व पूर्वी गेट स्थित भवनों को न तो सीवर कनैक्शन और न गंगाजल का कनैक्शन दिया गया है जबकि गंगाजल परियोजना समाप्त होने को है! संभवतः इसके पीछे कारण यह हो सकता है कि यह मार्ग ग्रेनाइट पत्थर का बना हुआ है अतः सीवर कनैक्शन एवं गंगाजल कनैक्शन हेतु ग्रेनाइट पत्थर को तोड़कर सीवर व गंगाजल कनैक्शन देने होंगे! महोदया, आपसे निवेदन है कि इन महत्वपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने की अनुकंपा करें ताकि गंगा जल परियोजना के समाप्त होने से पूर्व यह कार्य पूर्ण हो सके।

26. सिकंदरा स्थित राम बाबू पराठे वाले शोरूम से कैलाश मोड़ तक नाली चौक हो रही है और उससे आगे सरकारी नाला व नाली भी बंद पड़ी है। दुकान के पीछे भी सरकारी नाली बंद है। यहां पर काफी समय से सुपरवाइजर द्वारा सफाई नहीं कराई गई है। महोदय, आप सहमत होंगे कि राम बाबू पराठे वाले आगरा एवं देश का ख्याति प्राप्त रेस्टोरेंट है। यहां पर देश के दूर–दूर से व्यक्तियों का आवागमन रहता है और शोरूम के चारों तरफ गंदगी के अंबार से नगर निगम की छवि धूमिल होती है। अतः आपसे निवेदन है कि इस मुख्य स्थान पर बंद नालों को खुलवाने एवं नालियों की सफाई हेतु सुपरवाइजर को शीघ्र निर्देशित करने की अनुकम्पा करें।
27. निवर्तमान नगर आयुक्त महोदय द्वारा उद्यमियों की समस्याओं का निस्तारण करने के लिए एक ''उद्योग सखा'' के नाम से बैठक प्रारम्भ की गई थी। जिसे एक निश्चित समयान्तराल पर आयोजित कराया जाना निश्चित किया गया था, किन्तु यह एक बैठक के बाद पुनः आज तक नहीं हो पाई है। अतः निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण बैठक को नियमित रुप से प्रारम्भ किया जाये ताकि उद्यमियों की समस्यायें समय से निस्तारित होती रहें।
28. नेशनल हाईवे–19 आगरा फिरोजाबाद रोड पर बेस्ट प्राइस मॉल के बाहर बगल से एक कच्चा रास्ता है जो नगर निगम के अंतर्गत आता है, बारिश के पानी के रिसाव की समस्या के बारे में बताते हैं। इस जगह कोई भी नाला या पानी निकालने की सुविधा नहीं है जिसकी वजह से रास्ते में ही पानी भरा रहता है। काफी दिन पर दिन गंदगी बढ़ती जा रही है जिसके कारण बारिश का पानी सड़क और रास्ते पर जमा हो गया है और लोगों के लिए सड़क पर चलना जोखिम भरा हो गया है। उसी जगह एक तालाब है उसमें गंदा पानी भरा रहता है जिसकी वजह यहां पर रहने वाले लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आने जाने में लागों को बहुत दिक्कत होती है। आगरा नगर निगम के द्वारा कोई भी सुविधा नहीं की गयी। हमारा आपसे निवेदन है कि आप आगरा नगर निगम को बोलकर इस समस्या का समाधान करने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी।
29. नुनिहाई औद्योगिक क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण की तहबाजारी से उद्यमी परेशान हैं। क्योंकि वहां से बार–बार अनुरोध करने के बाद भी अवैध अतिक्रमण नहीं हटाये जा रहे हैं। यह कारखानों में सुरक्षा का मामला भी है। नुनिहाई में वैंडिंग जोन भी बन गया है। किन्तु यह स्थल रिक्त पड़ा है और खोखे आदि अवैध रुप से स्थापित हैं। इस सम्बन्ध में विस्तृत प्रतिवेदन जिसे फैक्ट्री ऑनर्स एसोसिएशन द्वारा चैम्बर को प्रेषित किया गया है, संलग्न कर आपकी सेवा में प्रेषित है।
30. खंदारी से हिन्दी संस्थान की ओर नगला बूढ़ी का चौराहा है इससे बायें हाथ पर एक 100 मीटर का कच्चा मार्ग है। जहां पर काफी कूड़ा करकट पड़ा रहता है। अतः इस मार्ग को पक्का कराया जाये व साफ सफाई कराई जाये। अपर्णा रिवरव्यू आर्पाटमेंट की बगल में नाला खुला है जिसके सामने शीतला माता का मंदिर भी है। हमारा निवेदन है कि इस नाले को पाटकर बंद कर दिया जाये। जिससे यहां दूषित वातावरण होने से बचे।
31. विभव नगर सेक्टर–3 (ताजगंज) में सड़क काफी समय से खराब है। इस सम्बन्ध में विभव नगर सेक्टर–3 व मयूर अपार्टमेंट के नागरिकों ने आपको पूर्व में एक प्रतिवेदन भी प्रेषित किया है। अतः इस सड़क का पूर्ण निर्माण कराने की कृपा करें।

सादर,

भवदीय,

(अतुल कुमार गुप्ता)
अध्यक्ष

(मुरारी लाल गोयल)
चेयरमैन – नगर निगम प्रकोष्ठ।